


पञ्जाब के राज्यपाल
ऑफिस के हस्तक्षेप

138

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा (म0प्र0)



C.F. Rs. 20/-

रामसुजान पाण्डेय तनय श्री माधव प्रसाद पाण्डेय, उम्र 71 वर्ष, निवासी ग्राम
कुँआ, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

निगरानीकर्ता/गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक-1

बनाम

1- केदार प्रसाद पाण्डेय तनय श्री माधव प्रसाद पाण्डेय, उम्र 76 वर्ष,
निवासी ग्राम कुँआ, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

रेस्पा0/निगरानीकर्ता

2- मनोज कुमार तनय श्री माधव प्रसाद पाण्डेय, उम्र 76 वर्ष, निवासी ग्राम
कुँआ, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

रेस्पा0/गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक-2

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर
सतना जिला सतना म0प्र0 निगरानी प्रकरण
प्रकरण क्रमांक 177/निगरानी/10-11
आदेश दिनांक 11.10.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0
संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :-

प्रकरण संक्षेप में यह है कि गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 द्वारा ग्राम
कुँआ की आराजी नम्बर 294 रकवा 0.67 एकड़, 250 रकवा 0.64ए., 333
रकवा 0.94ए., 519 रकवा 0.14ए., 520 रकवा 2.22ए., 572 रकवा 1.73ए.,
885 रकवा 0.93ए., 888 रकवा 0.92ए., 1052 रकवा 0.35ए., 1290 रकवा

रामसुजान पाण्डेय

Handwritten signature/initials

15
2/11/12

15
R-815-11/13

अधिवक्ता श्री मकाएव
सिंदडारा प्रसाद
रीवा, दि० 02-11-2012

Amal
2/11/12

30.9.13

134

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 815-टो/13 जिला-..... सतना

राम सुजान पाठेप विरुद्ध देदार प्रताप पाठेप

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>मकरध्वज सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला..... के प्रकरण क्रमांक <u>177/निगरानी/2010-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>11.10.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>7-3-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>

[Signature]